



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1728/JH/18/2023-ESDW

दिनांक: 22.08.2024

सेवा में,

श्री अविनाश कुमार,
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक,
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड,
इंजीनियरिंग बिल्डिंग,
एच. ई. सी., धुर्वा,
रांची, झारखंड 834004
ई-मेल: contactus@jbvnl.co.in

विषय: दैनिक मजदूर के तौर पर गुमला जिले (झारखंड) में कार्य कर रहे आवेदिका के पति के कार्यस्थल में हाइ वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आकर झुलस जाने के उपरांत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा समुचित मुआवजा/पुनर्वास नहीं दिये जाने एवं अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में श्रीमती सीता देवी, पत्नी बिनोद उरांव, ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला, जिला-गुमला, झारखंड-835207 का दिनांक 19.04.2023 का अभ्यावेदन।

- संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.06.2023.
संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.08.2023.
संदर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.12.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 28.08.2024 को 05:40 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1728/JH/18/2023-ESDW

दिनांक: 22.08.2024

सेवा में,

श्रीमती सीता देवी,
पत्नी बिनोद उरांव,
ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला,
जिला-गुमला,
झारखंड-835207
फोन नं. 9523692229

विषय: दैनिक मजदूर के तौर पर गुमला जिले (झारखंड) में कार्य कर रहे आवेदिका के पति के कार्यस्थल में हाइ वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आकर झुलस जाने के उपरांत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा समुचित मुआवजा/पुनर्वास नहीं दिये जाने एवं अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में श्रीमती सीता देवी, पत्नी बिनोद उरांव, ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला, जिला-गुमला, झारखंड-835207 का दिनांक 19.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 28.08.2024 को 05:40 बजे बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।